

न्यायालय—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक गोहद जिला भिण्ड  
मध्यप्रदेश  
पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

व्यवहार वाद 05.ए/2013  
संस्थापित दिनांक 18.09.2012  
फाईलिंग नं.230303002662012

1. श्रीमती मिथलेश पुत्री ग्याराम पत्नि कमलेश  
 आयु—28 साल जाति धानुक निवासी ग्राम, सिलौहा  
 परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र  
 ..... वादी

बनाम

1. भगवतीप्रसाद पुत्र विजयराम आयु— वर्ष  
 जाति धानुक निवासी ग्राम सिलौहा परगना  
 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0  
 2. म0प्र0 शासन द्वारा— श्रीमान कलेक्टर  
 महोदय जिला भिण्डम0प्र0  
 ..... प्रतिवादीगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 07/07/2014 को घोषित किया)

1. वादिया ने यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध स्वत्व द  
 पोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा विक्रयपत्र दिनांक 08/08/1997  
 को व्यर्थ और शून्य घोषित किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादिया ग्याराम  
 की पुत्री होकर भूमि सर्वे कमांक 919 रकवा 0.73,920 रकवा 0.  
 80,922 रकवा 1.28,925 रकवा 0.6,943 रकवा 0.26,944 रकवा 0.  
 55, कुल किता—6 कुल रकवा 3.68 बांके ग्राम सिलौहा परगना गोहद  
 में स्थित है।

3. वादिया का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि  
 सर्वे कमांक 919 रकवा 0.73,920 रकवा 0.80,922 रकवा 1.28,925  
 रकवा 0.06,943 रकवा 0.26,944 रकवा 0.55 कुल किता—6 कुल  
 रकवा 0.68 बांके ग्राम सिलौहा परगना गोहद की वादियाँ 1/2

भाग की भूमि स्वामी आधिपत्यधारी है यह भूमि विवादित भूमि है जिसे आगे पदों में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा । विवादित भूमि वादिया के पिता ग्याराम के अपने पिता गंगाराम से प्राप्त हुई थी । गंगाराम के मरने के बाद वारिसारन की हैसियत से गंगाराम के पुत्र विजयराम व ग्याराम को 1/2 ,1/2 भाग पर नामान्तरण होकर उक्त भूमि हिन्दू परिवार की अविभाजित पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें वादिया को जन्मजात हक व अधिकार प्राप्त होता है। यह भूमि हिन्दू परिवार की अविभाजित पुश्तैनी सम्पत्ति है यह भूमि के वादिया के पिता ग्याराम को वादिया के बाबा गंगाराम से प्राप्त हुई थी। यह भूमि पैत्रिक है इस भूमि में वादियों का जन्मजात हक है वादियों के पिता को कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी बल्कि वादियों के हक को समाप्त करने के उद्देश्य से छलकपट बेईमानीपूर्वक वादिया के पिता को बिना प्रतिफल दिये अपने मेल के गवाहों के साथ दिनांक 08/08/1997 को विक्रय-पत्र लिख लिया था यह विक्रयपत्र बिना प्रतिफल लिये छलकपट बेईमानीपूर्वक हुआ है। जो वादियों के हक को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया है जो वादियों के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है । उक्त भूमि में वादियों का हक था उसे मारने के उद्देश्य से वादियों को बगैर सूचना दिये तथा विधिवत इस्तहार जारी किया बिना राजस्व अधिकारियों से मिलकर बोगस विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण कर लिया है जो वादियों के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है वादियों इस वर्ष अषाढ माह में अपनी खेत के लिये दिनांक 12/7/12 को कहा था तो प्रतिवादी क01 ने उक्त भूमि को जोतने से मना किया और कहा कि यह भूमि तुम्हारे पिता ग्याराम से नामान्तरण करा ली है तब वादियों ने तहसील न्यायालय गोहद में आकर राजस्व अभिलेखों में दिनांक 18/7/12 को प्रतिलिपि प्राप्त की तब उसकी जानकारी में आया कि भगवतीप्रसाद ने वादियों के पिता ग्याराम के नाम के स्थान पर अपना नाम का नामान्तरण कूटरचित एवं फर्जी तरीके से करा लिया है इसलिये वादियों द्वारा यह वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । वादियों सहायता चाहती है कि विवादित भूमि में वादियों का 1/2 भाग की भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी तथा विक्रयपत्र दिनांक 08/08/1997 का वादियों का मुकाबले व्यर्थ एवं शून्य घोषित किया जावे तब इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा वादी के हक में जारी की जावे कि प्रतिवादी क.1 विवादित भूमि के 1/2 भाग में वादियों को किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न न करे और न किसी अन्य से करावे ।

4. प्रतिवादी क.1 ने दावे का जबाव पेश किया जो

संक्षिप्त में इस प्रकार हैकि वादियाँ विवादित भूमि की भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी नहीं है ना ही वादियाँ को किसी प्रकार से भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी के हक प्राप्त है विवादित भूमि पुश्तैनी व संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति नहीं है विवादित भूमि को ग्याराम ने प्रतिवादी क.1 के हक में दिनांक 08/08/1997 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र का निष्पादित कराया था। जिसका संपूर्ण प्रतिफल 1,53,000/-रूपये ग्याराम द्वारा प्राप्त किये गये थे ग्याराम द्वारा अपनी संपूर्ण भूमि के हिस्सा 1/2 जो करीब 10 बीघा 04 विस्वा थी । प्रतिवादी क01 के हित में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर अन्तरण किया था इसलिये प्रतिवादी क01 को वादग्रस्त भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त है और लगातार विवादित भूमि पर निर्विघन रूप से खेती करता चला आ रहा है प्रतिवादी की सन 1997 से खुले रूपसे निरंतर खेती होती चली आ रही है वादियाँ ने दिनांक 12/7/12 को वाद कारण उत्पन्न होना बताया है जो पूर्णतः गलत है रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की जानकारी वादियाँ को तत्समय से थी लेकिन अब जमीनो के भाव बढ़ जाने के कारण वादियाँ की नियत खराब हो गई है इसलिये उसने यह झूठा दावा प्रतिवादी के विरुद्ध पेश किया है इसलिये प्रस्तुत वाद समयावधि में न होने के कारण निरस्त किया जावे।

5. प्रकरण में वादिया की ओर से प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के आधारपर निम्न वाद प्रश्नों की रचनाकी गई जिनके समक्ष मेरे निष्कर्ष अंकित है:—

#### वाद प्रश्न

#### निष्कर्ष

1. क्या वादियाँ के पिता ग्याराम के मरने के पश्चात विवादित भूमि के 1/2 भाग पर हक व अधिकार प्राप्त हो चुके हैं?
2. क्या विवादित भूमि के संबंध में हुआ विक्रयपत्र दिनांक 08/08/1997 छलकपट व बेईमानी पर आधारित होने के कारण वादियाँ के मुकाबले शून्य व प्रभावहीन है?
3. क्या विवादित भूमि के संबंध में कराया गया नामान्तरण वादियाँ के मुकाबले शून्य व प्रभावहीन है?
4. क्या वादियाँ वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग कीमालिक व स्वामी हैं?
5. क्या वाद अवधि बाह्य है?
6. क्या वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है?

## 7. सहायता एवं वाद व्यय ?

सकारण निष्कर्ष

6. प्रकरण में वादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में श्रीमती मिथलेशवा0सा01, सीताराम वा0सा02, नरजेश वा0सा03, कमलेश वा0सा04 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है जबकि प्रतिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में भगवती प्र0सा01, बाबूलाल प्र0सा02 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये हैं।

वादप्रश्न कमांक 1,2,3 निष्कर्ष के आधार

7. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने लिये समस्त विचारणीय प्रश्नों की विवेचना एक साथ की जा रही है जिन्हे प्रमाणित करने का भार वादियों पर है जिसके संबंध में वादियों की ओरसे मिथलेश वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि भूमि सर्वे कमांक 919 रकवा 0.73,920 रकवा 0.80,922 रकवा 1.28,925 रकवा 0.6,943 रकवा 0.26,944 रकवा 0.55 कुल रकवा 30,68 ग्राम सिलोहा में स्थित है तथा वादियों 1/2 भाग की भूमि स्वामी है यह भूमि वादियों के बाबा गंगाराम की थी गंगाराम के दो पुत्र विजयराम एवं ग्याराम थे ग्याराम वादियों के पिता हैं और भगवती उसका चचेरा भाई है यह भूमि उनकी शामलाती पुश्तैनी सम्पत्ति है जिसमें वादियों का 1/2 भाग का हक व हिस्सा है लेकिन वादियों के हक को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रतिवादी ने छलकपट बेईमानी से उसे बगैर सूचना दिये अपने मेल के गवाहों के आधार पर उनसे मिलकर वादियों का हक मारने के उद्देश्य से उसके पिता ग्याराम से वयनामा करा लिया है। जबकि उक्त भूमि में वादियों का हक था वादियों के पिता ग्याराम को किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं दिया गया है गलत रूपसे वयनामा कराया गया है तथा वादियों को बिना सूचना दिये गलत रूपसे नामान्तरण भी करा लिया है। वादियों महिला है इसलिये वह खेती नहीं करती है इसलिये उसका चचेरा भाई खेती करता है और फसल उसे दे देता था लेकिन दिनांक 12/7/12 को उक्त भूमि जोतने से मना किया और हक देने से मना करने पर उसका राजस्व अभिलेख से नकल प्राप्त की तब उसे जानकारी हुई कि सारी जमीन प्रतिवादी ने अपने नाम से करा ली है। इस साक्षी के कथनों का समर्थन सीताराम वा0सा02, नरजेश वा0सा03, कमलेश वा0सा04 के द्वारा भी किया गया है।

8. प्रकरण में वादियों साक्ष्य का खण्डन करते हुये प्रतिवादी की ओर से भगवतीप्रसाद प्र0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया हैकि भूमि सर्वे कमांक 919 रकवा 0.73,920 रकवा 0.80,922 रकवा 1.28,925 रकवा 0.6,943 रकवा 0.26,944 रकवा 0.55 कुल रकवा 3.48 यानी 18 बीघा विस्वा 08 का वह भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है। जिसमें वादियों का किसी प्रकार का कोई हक व स्वत्व नहीं है उपरोक्त भूमि से 1/2 भाग उसके चाचा ग्याराम ने तत्कालीन मूल्य के हिसाब से 1,53,000/—रूपये प्रतिफल लेकर अपने संपूर्ण हिस्से 1/2 भाग गवाहों के समक्ष दिनांक 08/08/97 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर प्रतिवादी के नाम अन्तरण कर दी है तथा उक्त भूमि के नाम की जानकारी उसके चाचा ग्याराम की जानकारी व वादियों की जानकारी में थी तथा प्रतिवादी उक्त भूमि का भूमिस्वामी होकर कृषि करता चला आ रहा है। उक्त भूमि ग्याराम ने स्वयं एवं परिवारकी पूर्ति एवं इलाज के लिये भूमि विक्रय की थी तथा संपूर्ण प्रतिफल ग्याराम ने गवाहों के समक्ष प्राप्त किया था इस साक्षी के कथनों का समर्थन बाबूलाल प्र0सा02 के द्वारा भी किया गया है।

9. प्रकरण में अपने पक्ष समर्थन में वादियों की ओर से धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का नोटिस प्र0पी01,पोस्ट आसि की रसीद प्र0सा02,विक्रयपत्र दिनांक 08/08/1997 का प्र0पी03,मौजा सिलोंहा की खसरा पंचशाला का फार्म बी.56 लगाय बी 60 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र0पी04 तथा मौजा सिलोहा का खसरा पंचशाला 2051 लगायत 2055 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी05 की प्रस्तुत की है।

10. प्रकरण में वादियों ने अपने आपको ग्याराम की पुत्री मानते हुये ग्याराम की संपूर्ण सम्पत्ति पर अपना स्वामी होने का दावा किया है जिसके संबंध में उसने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-6 में यह स्वीकार किया हैकि शादी के बाद जब तक उसके पिता जीवित रहे तब तक वह आती जाती रही और पिता जी के मरने के बाद जब प्रतिवादी उसे बुलाता था तब जाती थी जो भी देता था वह ले आती थी। 02 साल से उसे प्रतिवादी ने नहीं बुलाया है इसलिये वह नहीं जाती। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-8 में यह स्वीकार किया हैकि जमीन बिकी उसकी राशि ग्याराम को प्राप्त हुई उस राशि का क्या किया उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि उसे पिता जी के सारे किया-कर्म तेरवी आदि भगवतीप्रसाद ने किया था। साक्षी ने

प्रतिपरीक्षण की कंडिका-9 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने पिता के मरने के बाद किसी प्रकार का कोई जमीन लेने व नामान्तरण संबंधी कोई जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की न ही उसे कुछ पता है लेकिन भगवती ने उसे 02 साल से नहीं बुलाया है इसलिये भगवती के विरुद्ध यह दावा पेश किया है। इस साक्षी के कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्याराम की मृत्यु के पश्चात आज दिनांक तक वादियों ने जमीन का विक्रय के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है न ही उसके नामान्तरण के संबंध में कोई कार्यवाही की है।

11. प्रकरण में सीताराम वा0सा02 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह स्वीकार किया है कि ग्याराम से वयनामा भगवती ने पटवारी से मिलकर 1,00,000/- रुपये में करा लिया है। नरजेश वा0सा03 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जमीन को भगवती ग्याराम के जीवनकाल से ही जोतता चला आ रहा है। कमलेश वा0सा04 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह स्वीकार किया है कि संपूर्ण भूमि पर भगवती को उसने देखती करते हुये देखा है।

12. प्रकरण में वादियों की ओर से खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी04, प्र0पी05, का प्रस्तुत है जिससे दर्शित होता है कि वर्तमान में यह भूमि भगवती के नाम पर 1/2 भाग पर दर्ज है खसरा प्र0पी05 के अवलोकन से दर्शित होता है कि विवादित भूमि ग्याराम के नाम पर राजस्व अभिलेखों में अंकित है लेकिन वादियों की ओरसे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि विवादित भूमि ग्याराम को उसे पिता से प्राप्त हुई थी लेकिन यह भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है वादियों की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज व साक्षी प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 08/08/1997 का कूटरचित है।

13. प्रकरण में जहां तक विक्रयपत्र का प्रश्न है विक्रयपत्र मृतक ग्याराम ने अपने जीवनकाल में स्वेच्छा से किया है और सन 1997 से सन 2012 इस लम्बे अरसे तक वादियों ने उक्त भूमि पर किसी प्रकार से कोई आपत्ति भी नहीं की है जबकि वादियों द्वारा अपनी शपथपत्रीय साक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि वह महिला है और वह खेती नहीं करती है उसका चचेरा भाई हमेशा से खेती करता चला आ रहा है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्याराम की मृत्यु के पश्चात वादियों की जानकारी में यह तथ्य था कि भगवती

ही खेती को करता चला आ रहा है इसके पश्चात भी वादियों ने विवादित भूमि के संबंध में न तो कोई जानकारी हासिल की और न ही अपनी पैत्रिक भूमि होने का कोई लाभ लेने का प्रयास किया है विवादित भूमि वादियों के पिता ग्याराम के जीवनकाल में ही विक्रीत की जा चुकी है जिसके संबंध में वादियों ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-8 में यह स्वीकार किया है कि जमीन बिकी की जा राशि प्राप्त हुई थी उस राशि का उसके पिता ने क्या किया उसे जानकारी नहीं है यह बात भी सही है कि ग्याराम का वादियों एक मात्र पुत्री होकर वारिस है लेकिन ग्याराम की मृत्यु के पश्चात जो सम्पत्ति शेष है उसी पर वादियों का हक प्राप्त हो सकता है लेकिन विवादित सम्पत्ति पर वादियों के पिता ग्याराम ने अपने जीवनकाल में ही विक्रीत कर दी है इसलिये वादियों विवादित भूमि पर 1/2 भाग का अधिकारी नहीं है विवादित भूमि का विक्रयपत्र छलकपट व बेईमानी पर आधारित था यह वादियों की ओर से लेसमात्र भी प्रमाणित नहीं किया गया है विवादित भूमि के संबंध में कराया गया नामान्तरण प्रतिवादी द्वारा विधिवत तौर पर कराया गया है इसलिये नामान्तरण वादियों के मुकाबले व्यर्थ व शून्य नहीं कहा जा सकता । अतः विचारणीय वाद विषयों का निराकरण वादियों के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जा रहा है।

#### वाद विषय कमांक 4 के निष्कर्ष के आधार

14. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादियों पर है उपरोक्त निर्णय में निराकरण के दौरान यह पाया गया कि वादियों वादग्रस्त भूमि 1/2 भाग की भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी नहीं है इसलिये पृथक से विचारणीय वाद विषय पर विस्तार से व्याख्या करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः विचारणीय वाद विषय को उपरोक्त निराकरण के आधार पर निरस्त किया जाता है।

#### वादविषय कमांक.5 के निष्कर्ष के आधार

15. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादी पर है वादी ने अपनी शपथपत्रीय साक्ष्य में मिथलेश वसा01 ने यह कथन दिया है कि प्रतिवादी ने दिनांक 12/7/12 को उक्त भूमि जोतने से मना किया और हक देने से मना करने पर उसने राजस्व दस्तावेजों की नकले निकाली तब उसे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि प्रतिवादी ने अपने नाम पर करा ली है । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-9 में यह स्वीकार किया है कि उसके पिता के मरने के बाद उसने जमीन लेने व नामान्तरण संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की



है इसलिये खेती के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है और न ही उसे पता है । भगवतीप्रसाद ने 02 साल से नहीं बुलाया है इसलिये यह दावा पेश किया है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वादियों द्वारा अपने स्वामित्व के संबंध में उसके पिता के मरने के बाद जमीन की कोई देखभाल नहीं की है और न ही जमीन किसी के नाम पर है इसकी जानकारी लेने की कौशिश नहीं है जब कि कानून रूपसे यह पाया जाता है कि वादियों को अपने स्वामित्व के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिये था लेकिन वादियों ने जानबूझकर कोई जानकारी हासिल नहीं की है जबकि विवादित भूमि को वादियों के मतानुसार प्रतिवादी ही खेती करता चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में जबकि विक्रयपत्र सन 1997 का है वादियों द्वारा सन 2012 में यह वाद प्रस्तुत किया है जो समयावधि में होना नहीं कहा जा सकता । अतः वाद अवधि बाह्य है ।

#### वादविषय कमांक.6 के निष्कर्ष के आधार

16. विचारणीय वाद विषय विधि व तथ्य का मिश्रित विषय है जिसमें प्रतिवादी द्वारा जबावदावे में यह आपत्ति ली है कि विक्रयपत्र दिनांक 08/08/1997 को तत्कालीन मूल्य 1,53,000/—रुपये के आधार पर वाद मूल्य कायम किया जाना चाहिये था जो वाद मूल्य कायम नहीं किया गया है जबकि विक्रयपत्र प्र0पी03 का अवलोकन करें तो उसमें वादियों पक्षकार नहीं है ऐसी स्थिति में वादिया को 1,53,000/—रुपये वाद का मूल्यांकन करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । वर्तमान में वादियों की ओर से जो वाद मूल्य कायम किया गया है वह उचित व पर्याप्त प्रतीत होता है ।

#### वादविषय कमांक.7 सहायता एवं वाद व्यय

17. प्रकरण में की गई विवेचना के आधार पर वादिया अपने वाद को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रही है अतः वादियों का वाद निरस्त किया जाता है वाद का व्यय वादियों बहन करेगी । अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने की दशा में जो भी न्यून हो देय होगी । तदनुसार जयपत्र की रचना की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व

दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता/सही

व्य0न्या0वर्ग-1गोहद

हस्ता/सही

व्य0न्या0वर्ग-1गोहद



